संघेशक्ति कलियुगे

झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

राँची

न्यू शास्त्री नगर, मधुकम, रातू रोड, राँची(झारखण्ड)

पंजीयन संख्या – 28 / 2001–2002

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से सम्बद्ध

संविधान की मूल प्रति

नियमावली

№ 000033

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 28

वर्ष 2001 - 2002

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख ..... मास जुलाई वर्ष दो हजार २० को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गोवर्नमेन्ट प्रेस, राँची ।

झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
की
नियमावली

1. परिभाषा :–

I. "संस्था/संघ/संगठन" झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ"

II. "समिति " से अभिप्राय हैं " कार्यकारिणी समिति " या कार्य समिति"

III. "वित्तीय वर्ष" से अभिप्राय है प्रत्येक पचांग वर्ष की 1ली जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि"

IV. "अधिनियम" से अभिप्राय है" संस्था निबन्धन अधिनियम 21/1860"।

V. "पदाधिकारी" से अभिप्राय है– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारीगण"।

2. कार्यालय : – इसका प्रधान कार्यालय शिक्षक सर्वोदय आश्रम, सुखदेव नगर, रांची–5 रहेगा।

3. कार्यक्षेत्र :– झारखंड राज्य की राजनीतिक सीमाओं तक इसका कार्यक्षेत्र रहेगा।

उद्देश्यः–

क. शिक्षा प्रणाली में सर्वागीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहना।

ख. राज्य की शिक्षण व्यवस्था एवं उसकी संचालन नीति में उचित स्थान प्राप्त करना।

ग. शिक्षकों में आत्मसम्मान, निर्भीकता एवं एकता का विकास करना

घ. देशकाल के अनुसार राष्ट्र निर्माण एवं उसकी प्रगति की ओर अग्रसर होना।

ङ छात्रों को सफल नागरिक बनाने में सहयोग देना एवं चरित्र निर्माण करना।

च. सभी वर्गों के शिक्षकों में बंधुत्वभाव को सह स्थापित कराना।

छ. छात्र–छात्राओं में धर्म निरपेक्षता की भावना जागृत करना।

ज. शिक्षक हितों का संरक्षण एवं उनकी समस्याओं का निराकरण।

झ. शिक्षकों में कर्तव्यबोध विकसित करना।

5. उद्देश्य की पूर्ति :– राज्य प्रतिनिधि मंडल और कार्य समिति के निश्चित उपायों द्वारा उनके उद्देश्य की पूर्ति की जायेगी।

6. संगठन :– साधारणतया राजनितिक विभाग के अनुसार झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठन के निम्नलिखित अंग होंगे:–

क. अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ।

ख. क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ।

ग. जिला प्राथमिक शिक्षक संघ।

घ. प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ।

ङ राज्य प्रतिनिध सभा।

च. राज्य कार्यकारिणी समिति।

7. संघ की सदस्यता:– इसके सदस्य दो तरह के होंगे– साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य।

1. साधारण सदस्य :–

क. सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिक एवं मध्य विधालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं इस संघ के नियम को मानते हुए 30/–(तीस रूपये) वार्षिक सदस्य–शुल्क देकर इसके सदस्य हो सकेंगे।

ख. अंचल, क्षेत्र जिला एवं प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ को अंचल सभा एवं प्रतिनिध मंडल की स्वीकृति से विशेष शुल्क लेने का अधिकार होगा।

ग. नये सदस्यों को सदस्य शुल्क के अतिरिक्त 5/– (पांच रूपये) प्रवेश शुल्क देना अनिवार्य होगा

घ. साधारण सदस्य द्वारा वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा नहीं करने पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

2. आजीवन सदस्यः– प्राथनिक /मध्य विधालय के कोई भी शिक्षक 150/–(एक सौ पचास रूपये) देकर ही आजीवन सदस्य बन सकेंगे। आजीवन सदस्य जब शिक्षा वृति छोड़कर या सेवा मुक्त होकर किसी राज्यकीय या अराजकीय सेवा में चले जायेंगे या किसी राजनीतिक दल की क्रियाशील सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो वे संघ की सदस्यता खो देंगे।

8. कार्य संचालनः– झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का कार्य संचालन राज्य प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार राज्यकारिणी समिति करेगी।

9. अ. राज्य प्रतिनिधि सभा का गठनः— 80 (अस्सी) साधारण एवं आजीवन सदस्य पर निर्वाचित एक प्रतिनिधि राज्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य होंगे।

ब. राज्य प्रतिनिधि सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :—

क. आय–व्यय की स्वीकृति देना।

ख. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा अंकेक्षक का चुनाव करना।

ग. वार्षिक बजट की स्वीकृति देना।

घ. अंकेक्षक प्रतिवेदन को स्वीकृति करना।

ङ. वार्षिक कार्यक्रम का निर्देश करना।

च. नियमावली में संशोधन करना।

छ. संघ की प्रगति के लिए नीति निर्धारण का कार्यक्रम बनाना।

स. प्रतिनिधि सभा की बैठकें:—

क. साधारण बैठक–राज्य प्रतिनिधि सभा की बैठक वर्ष में प्रायः एक बार होगी।

ख. विशेष बैठक– कभी भी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर महासचिव द्वारा विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

ग. प्रार्थित बैठक– दो तिहाई राज्य प्रतिनिधियों के अनुरोध पर प्रार्थित बैठक बुलाई जा सकेगी।

कोरम :– राज्य प्रतिनिधि सभा का कोरम कुल संख्या का पंचांग होगा।

10.क. प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ का गठनः— प्रत्येक प्रमंडलीय क्षेत्र के निर्वाचित राज्य प्रतिनिधियों तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनित उस प्रमंडल के राज्य प्रतिनिधियों की एक आम सभा और एक कार्यकारिणी समिति होगी। इसके पदाधिकारीयों का निर्वाचन संबंधित प्रमंडल के राज्य प्रतिनिधियों और अध्यक्ष द्वारा मनोनित प्रतिनिधियों द्वारा हुआ करेगा।

ख. जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का गठनः— जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की एक आम सभा और कार्य समिति होगी। 40 (चालीस) साधारण और आजीवन सदस्यों पर एक जिला प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। सभी जिला प्रमंडल एवं राज्य प्रतिनिधि जिला आम सभा के सदस्य होंगे।

ग. क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ का गठनः— क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ की एक आम सभा और एक कार्य समिति होगी। 20 (बीस) साधारण एवं आजीवन सदस्यों पर एक क्षेत्र प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। सभी क्षेत्र, जिला, प्रमंडल एवं राज्य प्रतिनिधि क्षेत्र आम सभा के सदस्य होंगे।

घ. अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ का गठनः— नियमानुसार सभी साधारण एवं आजीवन सदस्यों की एक आम सभा एवं कार्य समिति होगी।

11. कार्यकारिणी समिति का गठनः—

क. पदाधिकारी/: अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1 एवं महासचिव–1

ख. झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों के अतिरिक्त सभी जिलों से एक–एक सदस्य का निर्वाचन होगा। दो सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष करेंगे तथा शेष तीन सदस्यों को कार्यकारिणी समिति आप्त करेगी। जिसमे एक महिला सदस्या का होना आवश्यक होगा।

ग. राज्य कार्यकारिणी समिति के अधिकार और कर्तव्य :—

1. अधीनस्थ प्रमंडल, जिला, क्षेत्र एवं अंचल प्राथमिक शिक्षक संगठनों पर नियंत्रण रखना।
2. विधान की उल्लिखित पद्धति, वार्षिक अधिवेश या साधारण सभा के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना।
3. संघ के कोष पर नियंत्रण रखना।
4. महासचिव के वार्षिक प्रतिवेदन और आय–व्यय प्रतिवेदन की स्वीकृति देना।
5. वार्षिक अधिवेशन के लिए अध्यक्ष तथा उदघाटनकर्त्ता के पांच नाम चुनना।
6. उप समिति का निर्माण करना।
7. उप समिति के प्रतिवेदन की स्वीकृति देना।
8. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक की साधारण सभा के लिए प्रतिनिधियों का चयन करना।
9. अध्यक्ष के बिल की स्वीकृति देना।
10. शिक्षक संघ के कोष पर आघात करने वाले सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करना।

घ. राज्य कार्य समिति की बैठकें:—

I. साधारण बैठक – राज्य कार्य समिति की बैठक वर्ष में चार बार होगी।

II. विशेष बैठक – विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी की विशेष बैठक महासचिव के द्वारा बुलाई जा सकती है।

III. प्रायर्थित बैठक – दो तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर प्रार्थित बैठक बुलाई जा सकती है।

कोरमः– राज्य कार्य समिति का कोरम एक तिहाई सदस्यों का होगा। कोरम पूरा नहीं होने पर स्थगित बैठक के बाद कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

12. प्रमंडल, जिला, क्षेत्र एवं अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी समिति का गठनः–

क. प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघः–

पदाधिकारीः– अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1 एवं प्रधान सचिव–1

प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति में पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले से कम से कम दो सदस्य अवश्य होंगे। दो सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष करेंगे तथा शेष तीन सदस्यों को कार्य समिति आप्त करेगीं उसमें एक महिला सदस्या का स्थान सुरक्षित रहेगा।

ख. जिला प्राथमिक शिक्षक संघः–

पदाधिकारी :– अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1 एवे प्रधान सचिव–1, पदाधिकारियों सहित जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी समिति में सभी अंचलों से एक–एक सदस्यों का निर्वाचन होगा। शेष दो सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष करेंगे तथा तीन सदस्यों का कार्य समिति आप्त करेगी जिसमें एक महिला सदस्या का स्थान सुरक्षित रहेगा।

ग. क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघः–

पदाधिकारीः– अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1 एवं सचिव–1

क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति में पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक अंचल से एक–एक सदस्य का निर्वाचन होगा। एक सदस्य का मनोनयन अध्यक्ष करेंगे तथा शेष दो सदस्यों को कार्य समिति आप्त करेगी जिसमें एक महिला सदस्या का रहना आवश्यक होगा।

घ. अंचल प्राथमिक शिक्षक संघः–

पदाधिकारीः– अध्ययक्ष–1, उपाध्यक्ष–1 एवं सचिव–1

पदाधिकारियों सहित अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी समिति में।। (ग्यारह) सदस्य होंगे। कार्य समिति के सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव की सहमति से होगा। इसमें एक महिला सदस्या का स्थान सुरक्षित रहेगा।

13. प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ की आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः– इस आम सभा के अधिकार और कर्तव्य प्रमंडल, जिला और क्षेत्र के लिए वही होंगे जो राज्य प्रतिनिधि सभा को राज्य के लिए है। परंतु नियमावली संशोधन करने का अधिकार इसे नहीं होंगे। आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी।

14. कार्य समिति की बैठक वर्ष में चार बार होगी। कार्य समिति का कोरम समिति के सदस्यों का एक तिहाई होगा।

15. प्रमंडल, जिला और क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति के आधकार और कर्तव्यः– प्रमंडल, जिला और क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति के अधिकार और कर्तव्य के ही होंगे जो राज्य कार्यकारिणी समिति को है, परन्तु अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार इसे नहीं होगा। जिला कार्य समिति अपनी पहली बैठक में ही जिला परीक्षा समिति का गठन करेगी। समिति 7 (सात) सदस्यों की होगी। किन्तु इसके अध्यक्ष और सचिव जिला कार्य समिति के सदस्यों में से ही होंग।

16. पदाधिकारियें के कर्तव्यः–

1. अध्यक्षः–

क. संघ के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करना।

ख. राज्य प्रतिनिधि सभा तथा राज्य कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

ग. सम सम्मति होने पर मताधिक्य से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

घ. महासचिव, प्रधन सचिव तथा सचिव द्वारा कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाने पर राज्य कार्य समिति, प्रमंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति एवं क्षेत्र कार्य समिति के एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक बुला सकेंगे। राज्य, प्रमंडल, जिला और क्षेत्र के क्रमश 50, 30, 25, एवं 20 प्रतिनिधियों की राय से संबंधित संघ की अध्यक्ष प्रतिनिधि मंडल की बैठक बुला सकेंगे। अंचल की आम सभा 50 साधारण सदस्यों की राय से अध्यक्ष बुला सकेंगे।

ड. उपाध्यक्ष एवं महासचिव के बिल की स्वीकृति देना।
च. विवादग्रस्त विषयों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उप समिति का गठन करना।
छ. विधान की विवादग्रस्ता पर निर्णय देना।

2. उपाध्यक्षः—
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पर ही अध्यक्ष के काम का उत्तरदायित्व होगा।

3. महासचिवः—
क. संघ के समस्त कार्यों के लिए अपने को उत्तरदायी समझना।
ख. संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना।
ग. बैठकें बुलाना एवं उसकी लिखित कार्यवाही रखना।
घ. आय—व्यय का अनुमानित बजट तैयार कर प्रतिनिधि सभा से स्वीकृत कराना।
ड. आय—व्यय का लेखा रखना एवं कार्य समिति और प्रतिनिध सभा से स्वीकृत कराना।
च. वार्षिक अधिवेशन की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहना।
छ. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बिल को छोड़कार सभी प्रकार के बिलों की स्वीकृति देना।
ज. कार्य समिति की बैठक में विगत माह का आय—व्यय रखना।
झ. संयुक्त सचिव का मनोनयन कराना।
त्र. आय—व्यय का अंकेक्षण कराना।

4. संयुक्त सचिवः—
कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आलोक में महासचिव के निदेशानुसार कार्यों का संचालन करना। उपर वर्णित पदाधिकारियों के कर्तव्य प्रमंडल, जिला, क्षेत्र एवं अंलच संघों के स्तर में भी वही होंगे जो राज्य स्तर पर उन्हें प्राप्त है।

17. अंचल प्राथमिक शिक्षक संघः—
अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ आवश्यकतानुसार केन्द्र में बैठे रहेंगे। प्रत्येक केन्द्राधीक्षक को सभी विधालयों में सदस्य बनाने के लिए जाना आवश्यक होगा। उसकी लिखित डायरी रक्षनी होगी। राज्य, प्रमंडल, जिला, क्षेत्र एवं अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों में से किसी पदाधिकारियों में से किसी पदाधिकारी को क्रमशः प्रमंडल, जिलर, क्षेत्र अंचल एवं मुख्य केन्द्र पर वर्ष में एक बार जाना होगा।

18. पदाधिकारियों का निर्वाचनः—
संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन साधारणतया तीन वर्षों पर हुआ करेगा। प्रत्येक वर्ष (सात के अंत तक) सदस्यता शुल्क का भुगतान करने वाले ही बैध सदस्य हो सकेंगे। मतदाता को उक्त अवधि मे लगाये गये विशेष का भुगतान किये बिना मतदान का अधिकार नहीं होगा।

19. संघ का वर्षः—
क. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक रहेगा।
ख. अगस्त माह तक अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ क्षेत्र, प्रमंडल एवं राज्य का कोटा सदस्य सूची के साथ क्षेत्र को पहुँचा देगा।
ग. क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय से 30 सितम्बर तक जिला, प्रमंडल, राज्य एवं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का कोटा लिजा कार्यालय 15 अक्तूबर तक प्रमंडल एवं राज्य तथा अखिल भारतीय का कोटा राज्य कार्यालय में प्रतिरिधि सूची के साथ अरिवार्य रूप से भेज दिया करेगा।

निर्धारित समय पर चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कार्य समिति, अपनी पहली बैठक में एक तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन करेगी। समय पर चुनाव कराने का सारा दायित्व आयोग का होगा। इससे संबधित किसी भी त्रुटि के निवारण हेतु आयोग की अनुशंसा पर अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कार्रवाई करेंगे।

20. आय के स्त्रोतः—
1. साधारण सदस्य शुल्क के 30 रूपये(तीस रूपये) में से संघ की पांचों इकाइयों का पांच—पांच रूपये का कोटा मिलेगा, परन्तु झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का पांच रूपये अधिक मिलेगा जो अखिल भरतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, एवं विश्व संगठन के मद में खर्च होगा।
2. आजीवन सदस्य— शुल्क की राशि झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के लेखा बैंक के मुददती खाता में जगा करेगी। प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रत्येक आजीवन सदस्य का कोटा अधीनस्थ चारों इकाइयों को राज्य कोष से मिल जाया करेगा।

3. क. विशेष शुल्क झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति निर्धारित करेगी जिसका अनुमोदन राज्य प्रतिनिधि सभा करेगी।

ख. विशेष शुल्क जिस प्रयोजन के लिए लगाया जाएगा उसी मद में व्यय किया जाएगा।

4. किसी प्रकार का दान भी संघ की सम्पति मानी जाएगी

21. कोष का संरक्षण एवं संचालनः—

झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम का अर्थ संग्रह साधारणतया पन्द्रह दिनों के अंदर बैंक में जमा कर दिया जाएगा। बैंक का लेखा संघ के नाम से रहेगा जिसका संचालन महासचिव और अध्यक्ष या कार्य समिति के एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। साधारण खर्च के लिए महास दो हजार पाच सौ रूपये अपने पास स्थायी पेशगी के रूप में रख सकेंगे। अधीनस्थ संघो में भी क का संरक्षण इसी प्रकार लागू रहेगा। अंचल, क्षेत्र, जिला एवं प्रमंडल के सचिव काय समिति की राय पेशगी की राशि रख सकेंग।

22. व्ययः— क. राज्य प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत बजट के आधार पर व्यय होगा।

ख. सम्मेलन के अवसर पर महासचिव जनवरी से दिसम्बर तक आय—व्यय का ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रतिनिधि सभा की बैठक मे उपस्थति करेंगे।

23. अंकेक्षकः—

क. प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित अंकेक्षक प्रत्येक वर्ष आय—व्यय का अंकेक्षण करेंगे।

ख. निबंधन महानिरीक्षक कभी भी स्वविवेक से किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण करा सकते हैं, जिसका व्यय का वहन संस्था द्वारा किया जाएगा।

24. निरीक्षणः— संस्था के सभी अभीलेख मुख्यालय में रखे जाएंगे। कोई व्यक्ति महासचिव की अनुमति से निरीक्षण कर सकेंगे।

25. निर्वाचन के नियम :—

क. राज्य प्रतिनिधियों को राज्य और संबंधित प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र सभा की बैठक में प्रमंडल प्रतिनिधियों को प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र की आम सभा में जिला प्रतिनिधि को जिला एवं क्षेत्र सभा की बैठक में भाग लेने तथा मताधिकार प्रयोग करने क अधिकार प्राप्त होगा। संघ के पदाधिकारिये और कार्य समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रतिनिधियों के बीच से ही हुआ करेगा।

ख. चुनाव अधिकारी ही चुनाव सभा की अध्यक्षता करेंगे।

ग. उम्मीदवार को ही अपना नाम वापस लेने का अधिकार होगा।

घ. चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा।

ङ. नया चुनाव हो जाने पर पुराने पदाधिकारी को 15 दिनों को अन्दर कार्यालय का प्रभार नये पदाधिकारी को अवश्य दे देना होगा। अन्यथा अगले सत्र में वे किसी भी पद के उम्मीदवार के यो नहीं सकेंगे।

च. कार्य समिति की लगातार तीन बैठकों में अकारण अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों का स्थान रिक्त समझा जाएगा। जिसकी पूर्ति कार्य समिति उसी क्षेत्र से अपनी दूसरी बैठक में कर लेगी।

छ. मृत्यु या अन्य कारणों से कार्य समिति के पदाधिकारियों का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति का समिति द्वारा कार्य समिति के सदस्यो मे से होगी।

ज. चुनाव व्यवस्था—प्रमंडल एवं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव की व्यवस्था राज्य प्राथमिक शिक्ष संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव तथा क्षेत्र एवं अंचल चुनाव की व्यवस्था जिला प्राथमिक शि संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रधान सचिव की राय से करेंगे।

झ. अंचल से लेकर राज्य स्तर तक का चुनाव प्रायः मुख्यालय में ही होगा।

26. निष्कासनः—

क. शिक्षक संघ के विरूद्ध आचरण करने वाले सदस्यों के संबंध में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के निष्कासन संबंधी निर्णय पर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।

ख. शिक्षक संघ के कोष पर आघात करने वाले सदस्यों के उपर कडी कार्रवाई करने का अधिकार झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की समिति को होगा।

ग. संघ का आदेश नहीं पालन करने वाले सदस्यो पर निष्कासन की कार्रवाई करने का अधिकार झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को होगा।

27. बैठक की सूचनाः—
कार्य समिति की बैठक की सूचना निश्चित तिथि से कम से कम दस दिन पहले डाक मुहर से देनी होगी। राज्य, प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र प्रतिनिधियों को इसी प्रकार से पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

28. सरकारी समितियों में सदस्यों का चुनावः—
राज्य कार्य समिति पत्र के आधार पर सदस्यों का चुनाव कर सरकारी समिति में भेज दिया करेगी।

29. वार्षिक अधिवेशनः—
क. झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष प्रायः नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ करेगा।
ख. अधिवेशन राज्य के किस जिला में हो इसका प्रबंध महासचिव करेंगे।
ग. वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार केवल राज्य प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को होगा।
मनोनीत अध्यक्ष यदि किसी कारणवश अधिवेशन के मध्य में चले जायें तो संघ के अध्यक्ष ही अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे।

30. विषय निर्धारिणी समितिः—
इस समिति में उपस्थित प्रतिनिधियों में से प्रत्येक जिला से एक—एक एवं राज्य कार्य समिति के सभी सदस्य तथा स्वागत समिति के दो प्रतिनिधि रहेंगे।

31. समाचार पत्र एवं प्रेस समिति का गठनः—
संघ के प्रकाशित समाचार पत्र के लिए पाच सदस्यों का चुनाव कार्य समिति अपनी पहली बैठक में कर देगी।

32. पदाधिकारियों का कार्यः—
इस नियमावली में प्रतिनिधि मंडल, पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के जो कार्य बताए गए हैं वही अपने क्षेत्र में प्रमंडल, जिला, क्षेत्र एवं अंचल संघो पर लागू होगा।

33. मनोनयनः—
राज्य, प्रमंडल, जिला और क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष को राज्य प्रतिनिधि सभा, प्रमंडल प्रतिनिधि सभा, जिला प्रतिनिधि सभा और क्षेत्र प्रतिनिधि सभा में क्रमशः पांच—पांच प्रतिनिधि को सदस्यों में से मनोनयन करने का अधिकार होगा। प्रमंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष द्वारा मनोनित प्रतिनिधि प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र प्रतिनिधि सभा के सदस्य होंगे।

34. प्रमंडल, जिला, क्षेत्र एवं अंचल संघ का विघटनः—
क. किसी विषय परिस्थिति के उत्पन्न होने पर किसी भी प्रमंडल या जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति को झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष 6 माह के लिए भंग कर सकते हैं जिला संघ के अध्यक्ष भी क्षेत्र एवं अंचल संघ की कार्य समिति को 6 माह के लिए भंग कर सकते तथा तदर्थ समिति बनाकर उस अवधि के अभ्यन्तर ही नया चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे। 6 मा से अधिक ऐसी व्यवस्था रहने की परिस्थिति में राज्य या जिला कार्य समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
ख. जिले एवं अंचलों के स्वीकृत प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत सदस्य जहां नहीं बने हो उस जिले एवं अंचलों को असंगठित मानकर क्रमशः झारखंड राज्य प्राथमि शिक्षक संघ एवं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ अपने अधीन रखेगा।

35. राज्य, प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र संघ के तीन चुनावों में लगातार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव के पर रहने वाले क्रमशः राज्य एवं जिला संघ के पदेन प्रतिनिधि रहेंगे यदि वे साधारण सदस्य हों।

36. प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र संघ की विषय समितिः—
प्रमंडल, जिला एवं क्षेत्र सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों में से दो प्रतिनिधियों, कार्य समिति के सभी सदस्यों एवं स्वागत समिति के दो सदस्यों से प्रमंडल जिला एवं क्षेत्र विषय निर्धा समिति का गठन होगा।

37. जिला चुनाव अदालत का गठन एवं उसके कार्यः—
क. जिला चुनाव अदालत में तीन सदस्य रहेंगे जिनका मनोनयन झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार से होगा :— जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की व समिति अपनी पहली बैठक में ऐसे छः प्राथमिक शिक्षक सदस्यों के नाम की अनुशंसा झारखंड रा प्राथमिक शिक्षक संघके अध्यक्ष के पास देगी जब शिक्षक सदस्य राज्य के किसी क्षेत्र के शिक्षक के पदाधिकारी या प्रतिनिधि पद पर खड़ा नहीं होने की घोषणा पत्र जिला प्राथमिक शिक्षक संघ प्रधान सचिव के पास भेजेंगे।

झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष उन छः नामों में से किन्हीं तीन का मनोनयन कर जिला चुनाव अदालत के सदस्य के लिए जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव के पास भेज देंगे।

जिला चुनाव अदालत के एक संयोजक होंगे। अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मनोनयन के समय किसी एक को संयोजक बना देंगे। चुनाव संबंधी विरोध पत्र वादी की ओर से 100/– रूपये शुल्क के साथ चुनाव होने के सात दिनों के अंदर चुनाव अदालत के संयोजक के पास दिए जायेंगे। सामान्य तौर पर कुल विरोध पत्र पाकर संयोजक विरोध पत्र की तिथि से एक माह के अंदर चुनाव अदालत की बैठक बुलाकर विरोध पत्र पर निर्णय लेंगे। इस अवसर पर संयोजक वादी, प्रतिवादी और जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव को बुलाकर विरोध के संबंध में स्पष्टीकरण ले सकते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति वादी–प्रतिवादी और जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव को संयोजक देंगे। जिला चुनाव अदालत का निर्णय तब तक मान्य होगा जब तक राज्य चुनाव अदालत का कोई दूसरा निर्णय न हो जाय। विरोध शुल्क को संयोजक जिला प्राथमिक संघ के प्रधान सचिव के पास जमा कर देंगे। वह रकम जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की होगी। संयोजक को पत्राचार व्यय एवं यात्रा भत्ता दिया जाएगा तथा अन्य सदस्यों को यात्रा भत्ता देय होगा।

ख. राज्य चुनाव अदालत का गठन और इसके कार्यः–

राज्य चुनाव अदालत में तीन सदस्य रहेंगे जिनका निर्वाचन इस प्रकार होगाः– झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्य समिति अपनी पहली बैठक में छः ऐसे सदस्यों को राज्य चुनाव अदालत के सदस्यों मे लिए उम्मीदवार की घोषणा करेगी जो शिक्षक सदस्य राज्य के किसी क्षेत्र के शिक्षक संघ के पदाधिकारी या प्रतिनिधि पद पर खड़ा नहीं होने का घोषणा पत्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव के पास देंगे। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय में ये छः नाम जिला चुनाव अदालत के सदस्यों के पास भेजकर उनसे तीन नामों पर सम्मति मांगी जायेगी। यः मतदान कार्य गोपनीय पत्राचार द्वारा होगा। इस प्रकार बहुमत प्राप्त होने वाले सदस्यों की घोषणा झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष करेंगे।

राज्य चुनाव अदालत में एक संयोजक होंगे। राज्य चुनाव अदालत के तीनों सदस्य अपनी एक बैठक में संयोजक का चुनाव कर लेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव अदालत के निर्णय पर इस अदालत में निर्णय के एक सप्ताह के अन्दर 150/–रूपये शुल्क एवं निर्णय की एक प्रति के साथ झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव के पास अपील की जाएगी। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव विरोध शुल्क के साथ प्राप्त विरोध–पत्र का संयोजक राज्य चुनाव अदालत को देकर आगे की कार्रवाई हेतु आग्रह करेंगे। राज्य चुनाव अदालत से एक माह के अन्दर निर्णय देना आवश्यक होगा। यह निर्णय अन्तिम निर्णय समझा जाएगा। संयोजक निर्णय के अवसर पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित व्यक्तियों को बुला सकते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति वादी प्रतिवादी, जिला और राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव एवं महासचिव को दी जाएगी। प्रमंडल, कार्य समिति एवं पदाधिकारियों तथा राज्य कार्य समिति के सदस्यों एवे पदाधिकारियों के चुनाव संबंधित विरोध–पत्र सीधे चुनाव अदालत में निर्णय हेतु 150:–(एक सौ पचास रूपये) शुल्क के साथ चुनाव तिथि से एक सप्ताह के अन्दर दिये जाएंगे और इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। संयोजक को यात्रा भत्ता एवं पत्राचार का व्यय दिया जाएगा तथा अन्य सदस्यों को यात्रा भत्ता देय होगा।।

38. चुनाव अदालत के नियमः–

क. चुनाव संबंधी विरोध पत्र वादी की ओर से 150.00 रूपये राज्य एवं 100.00 रूपये जिला शुल्क के रू चुनाव तिथि के सात दिनों के अभ्यन्तर क्रमशः राज्य एवं जिला कोष में जमा किये जाएंगे।

ख. सामान्यतः कुल विरोध–पत्र पाकर संयोजक विरोध–पत्र पाने की तिथि से माह के अभ्यन्तर चुनाव अदालत की बैठक बुलाकर विरोध–पत्र निर्णय लेंगे। इस अवसर पर संयोजक वादी–प्रतिवादी एवं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव को बुलाकर विरोध के संबंध में जानकारी ले सकेंगे।

ग. निर्णय की एक–एक प्रतिवादी प्रतिवादी एवं जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव को संयोज यथा–शीघ्र भेज देंगे।

घ. जिला चुनाव अदालत का निर्णय तब तक मान्य होगा जब तक राज्य चुनाव अदालत का कोई निर्ण न हो जाय।

ड. कोई भी सदस्य अपनी अदालत में गये बिना यदि कोर्ट में मुकदमा करते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार अध्यक्ष राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को होगा।

39. चुनाव अदालत का कोरमः—
चुनाव अदालत का कोरम दो सदस्यों का होगा।

40. चुनाव अदालत की अवधिः—
चुनाव अदालत के गठन होने के बाद नये चुनाव अदालत के गठन तक चुनाव अदालत कार्य करती रहेगी।

41. विशेष आमंत्रणः—
अध्यक्ष या महासचिव अपनी कार्य समिति में किसी विशिष्ट व्यक्ति को विचार देने के लिए बुला सकते हैं। ये सिर्फ विचार दे सकते हैं। मतदान देने का अधिकार नहीं रहेगा।

42. सम्मेलन का सभापतित्वः—
वार्षिक सम्मेलन के सभापतित्व पद के लिए कार्य समिति पांच नाम चुन लेगी महासचिव उन्ही नामों में से क्रमशः पत्र—व्यवहार करके स्वीकृति लेंगे। स्वागत समिति सुझाव के लिए नाम भेज सकेगी।

43. वार्षिक प्रतिवेदनः—
वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर कार्य समिति की बैठक में महासचिव वार्षिक रिपोर्ट तथा आय—व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए उपस्थित करेंगे।

44. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्वः—
क. अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मेलन में झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अपना प्रतिनिधि भेज सकेगा।
ख. देश में शिक्षा या शिक्षक संबंधी किसी विशेष सम्मेलन के अवसर पर अध्यक्ष और महासचिव अपने जा सकेंगे या अपने स्थान पर दूसरे को भेज सकेंगे।

45. वार्षिक सम्मेलन का हिसाबः—
क. वार्षिक सम्मेलन के आय—व्यय को स्वागत समिति तथा कार्यकारिणी से पास कराकर अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक सघ के पास, क्षेत्र प्राथमिक शिक्षक संघ जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के पास तथा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पास भेज दिया करेंगे।
ख. प्रान्तीय सम्मेलन की स्वागत समिति की बचत जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की आय समझी जाएगी।

46. नियमावली संशोधनः—
राज्य प्रतिनिधियों की बैठक में ही नियमावली में परिवर्तन लाया जाएगा, किन्तु उपस्थित प्रतिनिधियों में से दो—तिहाई सदस्यों के पक्ष में होने पर ही संशोधन में परिवर्तन मान्य होगा।

47. संस्था का विघटनः—
सरकार की अनुमति प्राप्त कर संस्था निबंधन अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत विघटन किया जा सकेगा।

48. कानूनी कार्रवाईः—
संघ के ऊपर या संघ की तरफ से किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई महासचिव के नाम से होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है।

ह०/ मेल प्रकाश टोप्पो
4.2.01

अध्यक्ष
मोहर

ह०/ रण विजय तिवारी.
4.2.01

संयुक्त सचिव

ह०/- अस्पष्ट

मोहर।

पढ़ा:-

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है,

उप निबंधन महानिरीक्षक, झारखंड, रांची।

पत्र संख्या – 612
झारखंड सरकार
निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय
झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

श्री पॉल बारला,
उप निबंधन महानिरीक्षक
झारखंड, राँची।

सेवा में,

महासचिव,
झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
श्री योगेन्द्र तिवारी महासचिव के आवास परिसर में
न्यू शास्त्री नगर, मधुकम, रातू रोड, राँची(झारखण्ड)

झारखंड, राँची, दिनांक – 5.11.2001

विषय :– अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संस्था " झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ" का स्मृति–पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि निर्गत की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

विश्वासभाजन
ह०
(पॉल बारला)
उप निबन्धन महानिरीक्षक
झारखंड, राँची।